12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED FRAUD IN THE BANK OF BARODA, BOMBAY

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"बैंक आफ बडौदा, बम्बई में 70 लाख रुपये की राशि की धोखाधड़ी के समाचार"।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): Mr. Speaker, Sir, the Bank of Baroda has reported that no fraud in any single account in their Bombay branches of the magnitude of Rs. 70 lakhs has come to their notice. However, during the years 1970 and 1971, a large number of agricultural advances were sanctioned in their Murum branch, Maharashtra, some of which were later found to be irregular. The total amount of such advances disbursed by the then Agent of the branch was reported to be around Rs. 71 lakhs. When certain complaints were received by the bank about the irregularities in the disbursement of these amounts, the Management of the Bank of Baroda conducted an inspection of all the agricultural advances sanctioned in that branch.

According to the bank, out of the total agricultural advances disbursed by the then Agent, in 18 borrowal accounts involving an amount of Rs. 98,400, a shortfall in security to the extent of Rs. 47,858 was detected. Further, an amount of Rs. 95,000 disbused to 56 borrowers was also found to have been diverted for purposes other those for which they were granted.

The bank has reported that, on the basis of the facts revealed from the inspection and the admissions made by the then Agent of the branch, it had taken departmental action against the then Agent of the branch which eventually led to his dismissal from the service of the bank. The bank has further reported that, wherever necessary it has filed civil suits in a number of cases against the clients for recovering the loans.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आप को बधाई देना चाहता हूं। यदि आप ने मेरी बिनती पर इसको स्वीकार नहीं होता तो इस सत्य का उद्घाटन नहीं होता क्योंकि मंत्री महोदय को भी इसकी जानकारी नहीं थी। मंत्री महोदय ने पिछले सप्ताह में ही श्रीनगर बैंक के बारे में यहां जो बहस हुई थी, एक वाक्य कहा था :

"One advantage of the nationalisation of banks is that they frauds are much more quickly exposed to the public, because the matters can be discussed on the floor of Parliament. Naturally, the Reserve Bank and the nationalised banks and everybody will have to be on their toes for that matter.".

यह आशावाद उन्होंने प्रकट किया कि रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक सचेत हो जायेंगे। लेकिन इन की नौकरशाही ऐसी निर्लज्ज है कि यहां दसवार बहस करने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि सचेत वह हो जायेगी जब तक कि आप कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे।

इसके बारे में मैं ने 2 अगस्त को मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी थी। उस का एक हिस्सा में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"I have been writing to you about the deterioration in the working of the nationalised Banks. Before the opening of this session, I was told

[श्री मधु लिमये]

by well-informed sources that a big fraud involving Rs. 70 lakhs has been committed on the Bank of Baroda, Bombay. I do not know whether you have received detailed information about this. I believe that an investigation ought to be carried out in this scandal. The findings should be placed on the Table of the House."

इस के बाद मैं ने नोटिस दिया और आप ने उसे स्वीकार किया । लेकिन इस नोटिस के बारे में मंत्री महोदय के निजी सचिव से मुझे जो जानकारी मिली, उस के आधार पर मैं ने सैक्रेटरी साहब से कहा कि इस को कुछ समय के लिए मुल्तवी रखा जाये । उस के बाद मैं ने मंत्री महोदय को एक और पत्र लिखा, जो इस प्रकार है :

"With reference to the calling attention notice which was admitted by the Speaker, I had a talk with my informant in Bombay again this morning. He maintains that the information he gave to me about the fraud committed in the Bank of Baroda is true. I agreed to a postponement as your Private Secretary emphatically told me that you had a talk with the Chairman, Bank of Baroda, and there was no truth in the report received by me. In view of the fact that my informant insists on the veracity of the report, will you be so good as to make discreat inquiries on your own?"

उस के बाद मंत्री महोदय यह जानकारी ले कर आये हैं । उन का कहना है कि

"No fraud in any single account in their Bombay branches was detected."

अगर एक एकाउंट में फ्राड नहीं है, कई एकाउंट्स में है—और आंकड़े तो वही हैं—सत्तर लाख रुपये—, तो क्या उसकी गम्भीरता कम हो जाती है है ?

बैंकों के बारे में एक अरसे से मंत्री महोदय से मेरा पत्र - व्यवहार चल रहा है । रीफ़ाइनेंस कारपोरेशन के बारे में जब इस सदन में बहस हो रही थी, तो मैं ने कानपुर की पंजाब नैशनल बैंक की नयागंज शाखा के बारे में कुछ जानकारी सदन में दी थी और श्रीमती सुशीला रोहतगी ने कहा था कि वह उस की जांच करके सदन को बतायेंगी । इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास वह नयागंज शाखा के बारे में 73 चैक्स की सूची है । जे० के० ग्रुप की जो कम्पनियां हैं, उन के चैक हैं । ये सब वाउंस हो गये हैं । एक दो या तीन नहीं, 73 चैक नयागंज शाखा में लौटाये गये है, वाउंस हो गये हैं । मैं आप की इजाजत से इस सूची को सदन के पटल पर रखूंगा* ।

इस के कारण क्या बताये गये हैं ? नम्बर 2 के अनुसार होता है : "नाट एरेंज्ड फार" और नम्बर 4 होता है: "एक्सीडिड एरेंजमेंट ।" इस तरह 73 चैक हैं । इगलैंड और अमरीका में जब चैक वाउस हो जाता है, तो उस को क्रिमिनल आफेंस माना जाता है, वह अपराध संहिता में आता है, लेकिन हमारे यहां उस के बारे में कोई कार्यवाही नहीं होती है । (व्यवधान) नहीं है । सीधा नहीं होता है । आप को शिकायत करनी पड़ेगी । जिस को चैक मिल रहा है, वह अपना पैसा वसूल करने के चक्कर में रहेगा या वह केस करने के चक्कर में पड़ेगा ? चालीस हजार, पचास हज़ार रुपये की उस की रकम होती है । इसलिये वह शिकायत नहीं करता है । कोई केस नहीं बनता है ।

बैंकिंग कमीशन ने बहुत सी सिफारिशें की हैं । इस सदन की बैंकिंग कमीशन की इतनी बड़ी रपट पर बहस करने का एक दफ़ा भी मौका नहीं मिला है । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इसके रैमिफ़िकेशन्ज को देखिये ।

*The Speaker not having subse quently accorded the necessary permission, the paper was not treated as laid on the Table.

MR. SPEAKER: May be many ramifications may be there and they may have a wider scope, but the question is very limited in scope—about a specific item.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस का स्कोप लिमिटेड नहीं है । आप इस के रैमिफ़िकेशन्स को दीजिये ।

MR. SPEAKER: This is a fraud committed. The Minister has replied and you can confine yourself to that.

श्री मधु लिमये : मैं बता रहा हूं कि ये फ़ाड क्यों होते हैं ।

MR. SPEAKER: If you want, we can have a discussion on it. But you cannot thrust everything into the scope of this calling attention motion.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल संदर्भ बता रहा हूं । मैं बिल्कुल रेलिवैंट बात बता रहा हूं ? अगर आप ध्यान-आकर्षण नोटिस के बारे में इस प्रक्रिया को चलाना चाहते हैं कि सीधा सवाल पूछा जाये, तो मुझे एतराज नहीं है । लेकिन दूसरे सदस्य तो दस पन्द्रह मिनट बोलते हैं और जब मैं बोलने के लिये खड़ा होता हू, तो आप घंटी बजाने लगते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत स्ट्रीक्टली फालो कर रहा हूं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि मैं ने जो बात कही है, वह सार्वजनिक हित में है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसके स्कोप में रहिये । (व्यवधान) ।

श्री मधु लिमये : जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो प्रधान मंत्री ने इस सदन के सामने कुछ वक्तव्य दिये थे । उन्होंने उस समय कहा था :

"Our economy is once again poised for fresh growth and development. Government believe that public ownership of major banks will help in the most effective mobilisation and development of national resources so that our objective can be realised with a greater degree of assurance. Public ownership will also help to curb the use of bank credit for speculative and unproductive purposes...."

आगे चल कर उन्होंने कहा :

"If money which is deposited and is in the possession of the banks is in the nature of a sacred trust...."

ये सारे आश्वासन देने के बाद लगातार ये घपले और घोटाले के मामले आ रहे हैं । और क्या यह केवल बैंक आफ बडौदा का ही मामला है ? इस बारे में मैं इस से भी आगे बढ़ कर कहना चाहता हू कि अभी भी बैंक वालों ने मंत्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं दी है । मैं मंत्री महोदय से कई सवाल पूछना चाहता हूं ।

इस में दिक्कत यह है कि इन के रिजनल आफ़िसिज़ का स्ट्रक्चर बार बार बदलता रहता है । बम्बई में दो किस्म की शाखायें हैं । वहां लोक ब्रांच भी है और रिजनल ब्रांच भी । मंत्री महोदय को दोनों के बारे में जांच करके यह बताना चाहिये क्या इस मामले के अलावा सरकार के पास कोई शिकायत पहुंची है और क्या सी० बी० आई० में कोई जांच चल रही है ।

जब मंत्री महोदय ने इन्कार कर दिया, तो मेरा इनफ़ार्मेंट डर गया और उस ने बाद में तफ़सील देने से इन्कार कर दिया । वह

कहता हूं कि जब मंत्री महोदय इन्कार ही कर रहे हैं, तो अब मैं आप को कैसे जानकारी दे सकता हूं, इसमें मेरी नौकरी जाने का भी खतरा है।

अध्यक्ष महोदय : आप उस को मंत्री महोदय से मिला दें।

श्री मधु लिमये : मैं ने कहा है कि जे० के० ग्रुप की कम्पनियों के 73 चैक बाउंस हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बातों को कानून में क्रिमिनल ओफ़ंस बनाने के लिये तैयार है, ताकि भविष्य में इस तरह के घोटाले न हों।

तीसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि........................

अध्यक्ष महोदय : आप इन सब का एक ही सवाल बनाइये।

श्री मधु लिमये : इस पर रोक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप रूल को पढ़िये।

श्री मधु लिमये : मुझे लगता है कि इस वक्त मंत्रालयों का जो ढांचा है, उस में वैज्ञानिक दृष्टि से परिवर्तन करने की बड़ी आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय की मार्फ़त, और आप की मार्फ़त, प्रधान मंत्री का ध्यान इस की ओर दिलाना चाहता हूं। कम्पनी एफ़ेयर्ज एक मंत्रालय के अन्तर्गत है। कैपिटल इस्यूज श्री चव्हाण के साथ हैं। जहां तक रेवेन्यू इन्टेलीजेंस, एनफोर्समेंट का सम्बन्ध है, वह डिपार्टमेंट आफ कैबिनेट एफ़ेयर्ज के अन्दर है। कस्टम्ज, इनकम टैक्स, एक्साइज और फ़ौरेन एक्सचेंज वित्त मंत्रालय के तहत हैं। (व्यवधान) इसी तरह बैंकिंग और इन्शोरेंस....................

MR. SPEAKER: The call attention was on the reported fraud in the Bank of Baroda....(*Interruptions*)

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे लिये अलग नियम हैं, तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ने प्रश्न कर लिया है। अगर आप अब बैठ जायें, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री मधु लिमये : ये सब बातें मेरे लिये ही आती हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have to ask the hon. Member to be relevant. He has spoken much beyond the scope of the call attention. I am concerned only with the scope. We have fixed the time for the first Member. Others will not take more than five minutes.

श्री मधु लिमये : सब लोग उस से बाहर बोलते हैं और कभी घंटी नहीं बजती है। सन्दर्भ में न जायें, पृष्ठ भूमि में न जायें, पुनर्रचना की बात न करें, कोई उपाय न बतायें, तो ठीक है, मैं नहीं बोलता।.........(व्यवधान)....................आलराइट, मुझे नहीं बोलना है, आप जबर्दस्ती तो नहीं कर सकते।

MR. SPEAKER. You have said more than enough. Now you say, "I have nothing to say."

श्री मधु लिमये : आप एक इन्क्वायरी कमेटी बैठाइये जो मालूम करे कि कालिंग अटेंशन में क्या क्या विषय आते रहे हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं ? केवल मेरे लिए यह नियम लागू किया जाता है।

MR. SPEAKER: After the time-limit was fixed in the meeting, it is strictly being followed.

डा० कैलास : (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, आप के ऊपर यह जो आरोप लगाया है कि आप दूसरे सदस्यों को रोकते नहीं हैं यह सत्य नहीं है। आप हमेशा जब भी इस प्रकार के प्रश्न या विचार दूसरे सदस्य रखते हैं तो उन को भी आप आगाह करते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं। तो उन का यह कहना कि आप दूसरों को नहीं कहते, सिर्फ इनको कह रहे हैं, यह सत्य नहीं है। हमेशा आप दूसरे सदस्यों को भी टोकते रहे हैं। यह कह कर बैठ जाना यह गलत तरीका कि ऐसा आरोप आप पर लगा कर अपना भाषण बन्द कर देना। ऐसे तरीकों को आप को रोकना चाहिये।

MR. SPEAKER: The scope of this calling attention is limited. It is permissible to make a reference here and there to outside matters, but when he goes completely outside the scope, it is the duty of the Chair to point it out.

श्री मधु लिमये : मैं बता रहा था कि बैंकों का संचालन ठीक ढंग से क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये सुझाव दे रहा था कि बैंकिंग और इन्शोरेंस के बारे में अब जरूरत इस बात की है, 15 बैंक अब इस के तहत आ गए हैं, रिजर्व बैंक इस के तहत आता है, री फाइनेंस कारपोरेशन भी इस के तहत आता है, इंशोरेंस कम्पनियों का भी आप ने राष्ट्रीयकरण किया है, लोग टर्म फाइनशियल इंस्टीट्यूशंस इस में आते हैं, यदि मैं यह कह रहा था कि इस तरह के घोटाले न हों और सार्वजनिक जो फंड्स हैं उन का इस्तेमाल राष्ट्र के विकास के लिए हो और उस के लिए मंत्रालयों की पुनर्रचना करनी चाहिये, अगर इस बारे में मैं कुछ कह रहा था तो वह इरेलिवेंट कैसे हो जाता है?

अध्यक्ष महोदय : देखिये अगर आप ने ही रेलीवेंसी जज करनी है तो मेरे बैठने का फायदा क्या है? जब मेम्बर ही यह कहें कि मैं रेलीवेंट हूं तो मेरे बैठने का क्या फायदा है?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: The intention of the hon. Member is to find out some of the irregularities, frauds and malfunctioning of the banks and it wss necessary to ask such questions. I really welcome it. When I received the original notice from your office, it was rather vague information. I really wanted to know more specific things. Because of this vague information, I asked them to find out from the head office and they were told in Bombay city there was nothing like that.

श्री मधु लिमये : यही मैं ने कहा कि आप के रीजनल और जोनल दो दो आफिसेज हैं बम्बई में।

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I am not trying to score a point. I am only saying how it happened. Then I thought possibly it may not have occurred in the head office as such and it might have occurred in certain branches in Bombay city. I asked them to find out from the Bombay branches as well. When I was pursuing this matter, it was found—it is true that regional offices keep changing; possibly at that time when this thing happened, the regional office was in Bombay. This particular matter was brought to my notice that there were more than 1,000 accounts—small accounts but their number was more than 1,000—and there are some irregularities in it. Not that all the amount is lost. A part of it has become bad debt. The person involved in it himself has admitted his share in it, as a result of which he was dismissed. So, the bank acted very quickly on it. When it came to their notice they immediately sent inspectors to audit the accounts and it was on the bank's initiative that it was done. Not that the banks were not alert.

[Shri Yeshwantrao Chavan]

The hon. member asked whether there is any other CBI inquiry going on about any other thing. I made enquires and the report I have got is, in this matter there was correspondence with the CBI. We have taken departmental action. We are taking civil action to recover the amounts concerned. Certainly it involves a criminal offence. Therefore, the Bank was in correspondence with the CBI about its taking over the case but it advised that it is much better that the matter should be taken with the local police for the investigation of the offence involved.

The other question is about the general working of the bank that a large number of frauds are coming out and exposed and what are we going to do about it. This question was raised in the Consultative Committee also. It is a general question which is naturally the concern of the entire Parliament and also of me. In banking of this size I cannot say that eberything is fool-proof. Certainly, we will have to take steps and we have to ask banks, particularly the Reserve Bank, to make some study about the systems snd procedures of the working of banks, particularly in the case of advances and loans. They are making some studies. But we are not keeping quiet until we receive the result of that study. We have given instructions to the banks to see that the normal rules are strictly followed. We have seen that normally the frauds take place because some of the elementary rules of banking are not observed, either by collusion or by negligence. For instance, no entry must be allowed to be checked only by one person, unless it is checked by the other person, and no movable property of the bank should be allowed to be dealt with by only one person. These are some of the basic precautions that have to be taken in the transaction of business by banks and wherever they are not followed it is found that the banks come to grief. Naturally, we will have to take note of this.

He said something about cheques. I do not know the facts of the case. I am prepared to take the information from him and find out the position.

He raised no specific suggestion whether we are prepared to make some actions offences as such. This requires examination. I cannot say off hand either "yes" or "no". This is certainly a suggestion which can be considered.

About the general question for— organisation, if he has any suggestion he can certainly communicate with the Prime Minister or write to me.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैंकिंग कमीशन की यह पहली रपट है, इस पर बहस करने का मौका सदन को नहीं मिला है । इसलिए बार बार यह जनरल सवाल आते हैं । क्या आप इसी सत्र में इसके ऊपर बहस करने का मौका देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब आप बोल रहे थे, जब आपने बहुत जनरल बातें उठाईं तो इसके स्कोप से बाहर थीं तो आपने जोश में सुना नहीं, मैंने कहा इन बातों के लिए या और बैंकिंग की बातों के लिए अलाहिदा बहस रखनी चाहिए ।...... (**व्यवधान**) .... अब बात यह है कि इस सेसन में काफी समय और बातों में लग गया । हमने जो अपना खाने का घंटा रखा था वह भी छिन गया, लंच टाइम भी नहीं है और शाम को भी ज्यादा बठते हैं । 31 को खत्म होना था और दिन बढ़ाए गए हैं । आपसे मैं यही अर्ज करूंगा कि अब जो थोड़े बहुत दिन हैं उसमें ज्योतिर्मय बसु जरा मेहरबानी करें और दूसरे भी मेहरबानी करें, काम खत्म हो लेनें दें, बाद में एक दिन रख लेंगे, उसमें जो मर्जी हो, कर लेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ज्योतिर्मय बसु तो हर वक्त आपके पास मौजुद हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ज्योतिर्मय बसु दो तरह के हैं, जो बाहर ज्योतिर्मय मिलतें

हैं वह भौर हैं भौर जो भन्दर ब5ं हैं वह भौर हैं ।

12.50 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION ETC. UNDER DELIMITATION ACT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY): I beg to lay on tne Table—

(1) A copy of Notification No. S.O. 215(E) (Hindi and English versions), published in Gazette of India dated the 12th April, 1973 containing Order No. 1 of the Delimitation Commission in respect of the State of Nagaland, under sub-section (3) of section 10 of the Delimitation Act, 1972.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for lelay in laying the above Notification. [*Placed in Library. See* No. LT-5472/73].

NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, CENTRAL EXCISE RULES, ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of Notification No. G.S.R. 387(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 8th August, 1973. under section 159 of the Customs Act, 1962, together with an explanatory memorandum. [*Placed in Library. See* No. LT-5473/73]

(2) A copy of the Central Excise (Seventh Amendment Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 374(E), in Gazette of India dated the 1st August, 1973, under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [*Placed in Library. See* No. LT-5474/73.]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under the Central Excise Rules, 1944:—

(i) G.S.R. 375(E) published in Gazette of India dated the 1st August, 1973 together with an explanatory memorandum.

(ii) G.S.R. 386(E) published in Gazette of India dated the 8th August, 1973 together with an explanatory memorandum. [*Placed in Library. See No.* LT-5475/73.]

(4) (i) A copy of the Andhra Pradesh Excise (Compounding of Offences) Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.O.Ms. 94 in Andhra Pradesh Gazette dated the 5th April, 1973 under sub-section (4) of section 72 of the Andhra Pradesh Excise Act, 1968, read with clause (c)(iii) of the Proclamation dated the 18th January, 1973 issued by the President in relation to the State of Andhra Pradesh.

(ii) A statement showing reasons for delay in laying the above Notifications [*Placed in Library. See* No. LT-5476/73].

(5) A copy each of the following President's Acts (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 3 of the Orissa State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973:—